UPBJ010029912023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारीः– हनी गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP2408

<u>सत्रवाद संख्याः– 601/2023</u>

सरकार बनाम पवन आदि

मुकदमा अपराध संख्याः– 607/2019
धारा–302,394,411,120बी,201 भा0दं0सं0
थानाः– चांदपुर, जिला बिजनौर।

<u>आरोप</u>

मैं हनी गोयल, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर, आप अभियुक्तगण **पवन** व **वीर सिंह उर्फ बिट्टू** को निम्नवत आरोपित करता हूं:

<u>प्रथमः–</u> यह कि आपके द्वारा दिनांक 31–08–2019 की सुबह समय करीब 09:45 बजे को स्थान शेखपुरी चौराहा, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर में अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा के भाई वाजिद के ऊपर तमंचे से फायर करके उसकी हत्या कारित की गयी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो धारा **302/34 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपके द्वारा वादी मुकदमा के भाई वाजिद एवं उसके साथियों को लूटने के उद्देश्य से घोर उपहति कारित की गयी तथा करीब 59,700/–रूपये की लूट की गयी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा **394** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

तृत्तीयः आप अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर या उससे पूर्व अन्य स्थान व समय पर वादी मुकदमा के भाई एवं उसके साथियों से लूट करने के उद्देश्य से अपाराधिक षडयन्त्र रचा गया। आपके द्वारा कारित अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा **120बी** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

चतुर्थः यह कि दिनांक 01–10–2019 को समय करीब 13:30 बजे बहद स्थान ग्राम रवाना वाले कच्चे रास्ते पर बिल्लू गुपता के बन्द पडे क्रेशर वाला

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2023.06.12 16:57:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चांदपुर, जिला बिजनौर में आप अभियुक्तगण को प्रभारी निरीक्षक लव सिरोही व अन्य हमराही पुलिस कर्मचारीगण द्वारा पकडा गया तथा आपके कब्जे से पुलिस को उपरोक्त लूट में लूटे गये रूपयों में से 15,000/–रूपये बरामद हुये। जिनको आप लूट के जानते हुये भी अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में अपने कब्जे में रखे हुये थे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **411 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(हनी गोयल)
दिनांकः– 12–06–2023 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03,
बिजनौर।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण का दावा किया।

(हनी गोयल)
दिनांकः– 12–06–2023 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03,
बिजनौर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– श्री हनी गोयल, उ0 प्र0 न्यायिक सेवा. UP02408
सत्रवाद संख्याः– 601/2023

सरकार **बनाम** **पवन आदि**

मुकदमा अपराध संख्याः– 607/2019
धारा–302/34, 394, 411, 120बी, 201 भा0दं0सं0
थानाः– चांदपुर, जिला बिजनौर।

12–06–2023

पत्रावली पेश हुई।

अभियुक्तागण **पवन** जिला कारागार से अभिरक्षा में न्यायालय उपस्थित आया तथा अभियुक्तगण **वीर सिंह उर्फ बिट्टू** व **रहीस** जमानत पर न्यायालय उपस्थित आये।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित आये।

अभियोजन ने अपने कथनों के समर्थन मे पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सन्दर्भ दिया।

अभियुक्तगण पवन व वीर सिंह उर्फ बिट्टू के विरूद्ध आरोप विरचन के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पवन व वीर सिंह उर्फ बिट्टू के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा **302/34, 394, 411, 120बी भा0दं0सं0** के अन्तर्गत विचारण हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

तद्नुसार अभियुक्तगण पवन व वीर सिंह उर्फ बिट्टू के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा **302/34, 394, 411, 120बी भा0दं0सं0** का विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य एवं बहस आरोप विरूद्ध अभियुक्त रहीस दिनांक 23–06–2023 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण को जरिये समन आहूत किया जाए।

(हनी गोयल)
दिनांकः– 12–06–2023 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03,
बिजनौर।